भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 392

27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

392. श्री विजय बघेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्राथमिक राशन कार्डधारी परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित चावल हेतु पात्रता के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अतिरिक्त राज्य के कोटे से छत्तीसगढ़ राज्य को अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है तथा इस प्रयोजन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी दर्ज किया जाता है;

(घ) क्या वर्तमान में लाभार्थी को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के पूल से चावल प्राप्त करने के लिए दो बार बायोमेट्रिक कराने का प्रावधान है;

(ड.) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से उक्त बायोमेट्रिक केवल एक बार ही कराने का प्रस्ताव केन्द्रीय स्तर पर लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) वर्तमान में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 54.96 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड हैं।

...2/-

(ख) छत्तीसगढ़ में लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्नों का पारदर्शी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) रूप से वितरण करने के लिए सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) को ईपीओएस उपकरण संस्थापित करके स्वचालित किया गया है। सर्वप्रथम एनएफएसए लाभार्थी अपने बायोमेट्रिक/आधार क्रेडेंशियल को अधिप्रमाणित करेंगे और उसके पश्चात वे अपने पात्र खाद्यान्नों को प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ड.) और (च) इस विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****